

सूचना

19.09.2024

छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति

नवीन(Fresh) एवं नवीनीकरण(Renewal) करने वाले छात्र-छात्राओं हेतु

सभी छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2024-25 हेतु शुल्कप्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत आनलाइन आवेदन की तिथि दिनांक 20 जुलाई 2024 से दिनांक 10 नवंबर 2024 निर्धारित है। उक्त योजना का लाभ लेने हेतु निम्न शर्तें हैं।

- सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचितजनजाति हेतु काउन्सिलिंग से प्रवेश आवश्यक है। सामान्य वर्ग हेतु 12वीं में 60 प्रतिशत अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 40 प्रतिशत अंक आवश्यक है। सामान्य वर्ग हेतु स्नातक में 55 प्रतिशत आवश्यक है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग हेतु काउन्सिलिंग से प्रवेश की कोई बाध्यता नहीं है। 12वीं में 60 प्रतिशत एवं स्नातक में 55 प्रतिशत अंक आवश्यक। अल्पसंख्यक हेतु 55 प्रतिशत अंक 12वीं में आवश्यक है।
- छात्र-छात्रा एवं उनके माता पिता उत्तर प्रदेश के निवासी हों।
- छात्र-छात्रा की माता पिता की आय सभी स्रोतों से आय 2.0 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की माता पिता की आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आय प्रमाण पत्र अप्रैल 2024 का हो एवं छात्र के पिता के नाम जारी होना चाहिए। पिता के न होने पर उसके माता व दोनों न होने के स्थिति में अभिभावक के नाम बना होना चाहिए।
- जो छात्र-छात्रा **Counselling -TFW** के माध्यम से प्रवेश लिया है वे शुल्कप्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं हैं।
- अन्य पिछड़ा कल्याण वर्ग छात्रों को प्रतिदिन आनलाइन उपस्थिति दर्ज कराना आवश्यक है और छात्रवृत्ति हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है।

आनलाइन फार्म भर कर निम्न प्रपत्र के साथ संलग्न करके रजिस्ट्रार आफिस में ससमय जमा कराना आवश्यक है। अन्यथा फार्म विभाग को किसी भी दशा में अग्रसारित करना सम्भव नहीं होगा।

1. Photocopy of High School/Intermediate/Graduation marksheet with self attested
2. Photocopy of Income Certificate/Caste Certificate(if applicable)/Domicile Certificate with self attested
3. Copy of online Printout of Income/Caste/Domicile certificate
4. Photocopy of Aadhar Card(Student/Father/Mother) with self attested by student
5. Photocopy of Counselling Allotment Letter if applicable
6. Photocopy of PAN Card of Parent/Khasra Khatauni if applicable
7. Photocopy of Bank Pass Book of student
8. Required Affidavit - available at Stationery Shop in college campus

उपरोक्त प्रपत्रों के अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। जिसकी जिम्मेदारी छात्र-छात्रा की होगी। अन्य दिशा निर्देश व शर्तें सम्बन्धित वेब साइट Website: <https://scholarship.up.gov.in> पर उपलब्ध है।

छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति फार्म भरने हेतु कुछ निर्देश

- आवासीय/दिवा : आवासीय— **Hosteler** दिवा —**Day Scholar**
- प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि एवं वर्तमान प्रारम्भ सत्र दोनों में कालेज में जमा शुल्क की रसीद की तिथि लिखना होगा।
- नवीनीकरण छात्रों हेतु पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि 15.09.2024 होगा
- नॉन रिफेण्डबेल फीस सभी के लिये वर्गों के हेतु रु083082 लिखना होगा।
- नव प्रवेशित छात्रों हेतु विश्वविद्यालय/बोर्ड/एफिलिएटिंग एजेन्सी की पंजीयन क्रमांक का स्थान रिक्त रखना है।
- पूर्व प्रवेशित छात्रों हेतु विश्वविद्यालय/बोर्ड/एफिलिएटिंग एजेन्सी की पंजीयन क्रमांक के स्थान पर अपना इनरोमेन्ट संख्या लिखना होगा।
- विश्वविद्यालय/बोर्ड/एफिलिएटिंग एजेन्सी के स्थान पर **AKTU**
LUCKNOW लिखना होगा।


रजिस्ट्रार Registrar
R.D. Engineering Coll
Ghazipur